संख्या–2085 / 9–आ–3–99–23 विविध / 99

प्रेषक

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

4. अध्यक्ष,
समस्त नियंत्रक प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक : 28 मई, 1999

विषय : शहरी क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित करने के सम्बन्ध में राज्य वन नीति 1998

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा घोषित राज्य वन नीति 1998 के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि शहरी क्षेत्र में हरित पट्टिका विकसित करने के लिए स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, निजी क्षेत्र के बिल्डरों तथा औद्योगिक ले–आउट तथा इकाईयों आदि की भूमि में 20 प्रतिशत हरित पट्टिका विकसित करने हेतु उनके द्वारा विकसित कालोनियों में निम्न कार्यवाही की जाएगी :

(क) मार्गों के साथ–साथ

9.0 मीटर तथा इससे अधिक परन्तु 12.00 से कम चौड़ी सड़कों के एक ओर तथा 12.00 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाना होगा जो कि सड़क के प्रति 10 मीटर लम्बाई में न्यूनतम एक पेड़ से कम नहीं होगा अर्थात पेड़ों के मध्य दूरी 10 मीटर से अधिक नहीं होगी अधिक चौड़ाई की सड़कों में डिवाइडर, फुटपाथ एवं ब्लैक टॉप के अलावा खली छोड़ी जा रही समस्त भूमि पर भी वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाए। बाद में सड़क चौड़ी किए जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार चौड़ा किए जाने पर प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(ख) आवासीय भूखण्डों में

1 (क) 200 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड में एक पेड़।

1 (ख) 200 से 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड में दो पेड़।

1 (ग) 300 से 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल

500 से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड में प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल या इससे भाग पर एक पेड़।

2– समूह आवासीय योजना में प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ के दर से पेड़ लगाए जाएंगें। भवन मानचित्र के साथ लैण्ड स्केप्रिंग प्रस्ताव का अनुमोदन भी आवश्यक होगा।

3– आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, मलिन बस्ती सुधार आदि योजना में प्रति 50 परिवार पर न्यूनतम 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के स्थल पर समूह के रूप में पेड़ लगाये जाएंगें।

(ग) औद्योगिक

(क) प्रति 80 वर्ग मीटर भूखण्ड क्षेत्रफल पर एक पेड़ के दर से पेड़ लगाये जायेंगे।

(ख) औद्योगिक विकास योजना में कुंल अनुमन्य खुले स्थल का 20 प्रतिशत भाग में प्रति हेक्टेयर 125 पेड़ के दर से पेड़ लगाया जाएगा।

(ग) बड़े प्रदूषणकारी उद्योग को आवासीय क्षेत्र में सघन ग्रीन बेल्ट द्वारा पृथक किया जाना होगा जो औद्योगिक क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।

(घ) औद्योगिक विन्यास मानचित्र के साथ लैण्ड स्केप प्रस्ताव का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(घ) व्यवसायिक

(क) प्रति 100 वर्ग मीटर भूखण्ड क्षेत्रफल पर एक पेड़।

	(ख) वाणिज्यक योजना में कुल अनुमन्य स्थल का न्यूनतम 20 प्रतिशत पर ग्रीनरी होगा, जहाँ प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 50 पेड़ की दर से पेड़ लगाया जाएगा।
(च) संस्थागत/ सामुदायिक सुविधाएं	(क) कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग ग्रीनरी जहाँ प्रति हेक्टेयर 125 पेड़ की दर से पेड़ लगायें जाएगें।
	(ख) वाणिज्यक योजना में कुल अनुमन्य स्थल का न्यूनतम 20 प्रतिशत पर ग्रीनरी होगा, जहाँ प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 125 पेड़ की दर से पेड़ लगायें जाएगें।
(छ) क्रीड़ास्थल/खुले क्षेत्र	(क) ऐसे सभी स्थानों पर न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग ग्रीनरी होगा, जहाँ प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 125 पेड़ की दर से पेड़ लगायें जाएगें।
(ज) पार्क	(क) प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 125 पेड़ की दर से पेड़ लगायें जाएगें।

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की विकास योजनाओं में वृक्षारोपण अनिवार्य किए जाने के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए सभी सक्षम प्राधिकारी मानचित्र स्वीकृति से पूर्व उपरोक्त प्रावधानों को सुनिश्चित करेंगे तथा पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व वृक्षारोपण भी सुनिश्चित करेंगे।
कृपया इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–2085(1)/9–आ–3–99 तददिनांक

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, वन, उत्तर प्रदेश शासन
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ
4. समस्त नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश
5. अतिरिक्त निदेशक, आवास बन्धु, विकास भवन, लखनऊ
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
अनुसचिव